

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2011/ज्येष्ठ 27, 1933

[रा.रा.स.क्षे.दि. सं. 71

No. 104]

DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2011/JYAISTHA 27, 1933

[N.C.T.D.No. 71

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जून, 2011

फा. सं. 81/ए/35/एडी-III/स.कल्या.वि./2005/3958-3966.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. यू-11030/96-यूटीएल के साथ पठित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा, राज्य समन्वय समिति का गठन करने के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन्हें सौंपा कार्य, के तहत उपरोक्त अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नामजद सदस्यों के लिए तीन साल की अवधि के लिए सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

राज्य समन्वय समिति

- माननीय मंत्री, समाज कल्याण, —अध्यक्ष, पदेन
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- श्री माला राम गंगवाल, विधायक, —सदस्य
ए-1बी/24-सी, एलआईजी फ्लैट्स,
पश्चिम विहार, नई दिल्ली
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(छ) के अधीन]

- श्री कुलवन्त राणा, विधायक, —सदस्य
म. नं. 7, मैन बवाना रोड,
(दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ)
गांव एवं पोस्ट ऑफिस शाहबाद दौलतपुर, दिल्ली
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की उप-धारा (2)(छ) के अधीन]
- श्री नन्द किशोर, विधायक, —सदस्य
म. नं. 213, गांव बापरौला,
पो.ऑ. नजफगढ़, दिल्ली-43
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की उप-धारा 13(2)(छ) के अधीन]
- प्रधान सचिव, —सदस्य
शिक्षा विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- प्रधान सचिव, —सदस्य
वित्त विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- प्रधान सचिव, —सदस्य
स्वास्थ्य विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- विकास आयुक्त, —सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- सचिव, —सदस्य
उद्योग विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

- | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|
| 10. सचिव,
प्रशिक्षण-यूटीसीएस,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | —सदस्य | 22. प्रधान सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(घ) के अधीन] | —सदस्य |
| 11. सचिव,
शहरी विकास विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | —सदस्य | 23. आयुक्त (डिसेबिलिटी)
निःशक्त व्यक्ति के लिए
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | —सदस्य |
| 12. सचिव,
रोजगार,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | —सदस्य | 24. प्रधान सचिव,
समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | —सदस्य सचिव |
| 13. प्रबंध निदेशक,
दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.,
एन-ब्लॉक, बाम्बे लाइफ बिल्डिंग,
कनॉट सर्कस, नई दिल्ली | —सदस्य | राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
बी. वी. सेल्चराज, प्रधान सचिव | |
| 14. सुश्री सीमा तुली, प्रधानाचार्य,
अमर ज्योति स्कूल, कड़कड़डूमा, दिल्ली
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(च) के अधीन] | —सदस्य | SOCIAL WELFARE DEPARTMENT | |
| 15. डॉ. ओमकार शर्मा, महासचिव,
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द डीफ,
18-नॉर्थएंड कॉम्प्लेक्स, आर के पुरम मार्ग, नई दिल्ली
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(च) के अधीन] | —सदस्य | NOTIFICATION | |
| 16. सुश्री निहारिका निगम, निदेशक,
दिल्ली सोसाइटी फॉर द वेल्फेयर
मेन्टली रिटार्टेड चिल्ड्रन,
ओखला सेन्टर, ओखला मार्ग, नई दिल्ली
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(च) के अधीन] | —सदस्य | Delhi, the 17th June, 2011 | |
| 17. श्री दिलीप कुमार, प्रोजेक्ट निदेशक,
मदर होम, खसरा नं.-22, जीटीके रोड,
लिबासपुर, दिल्ली-42
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(च) के अधीन] | —सदस्य | F. No. 81/A/35/AD-III/DSW/2005/3958-3966.—In | |
| 18. महसचिव,
नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड,
आर के पुरम, सैक्टर-5, नई दिल्ली
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(च) के अधीन] | सदस्य
—सदस्य | exercise of the powers conferred by sub-section (1) of
Section 13 Persons with Disabilities (Equal Opportunities,
Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of
1996) read with Government of India, Ministry of Home
Affairs, Notification No. U-11030/96-UTL, dated
5th December, 1997, the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the State
Co-ordination Committee, to exercise the powers conferred
on, and to perform the functions assigned to them, under
the said Act in the National Capital Territory of Delhi, with
effect from the date of its publication in the Official Gazette
for a period of three years for nominated members. | |
| 19. प्रतिनिधि,
भारतीय उद्योग परिसंघ दिल्ली,
सी-II, दिल्ली स्टेट ऑफिस, प्लॉट नं. 249-एफ,
सैक्टर-18, उद्योग विहार, फेज-IV, गुडगांव
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(ज) के अधीन] | —सदस्य | STATE CO-ORDINATION COMMITTEE | |
| 20. श्री नवनीत सेठी, एसोसिएट प्रोफेसर,
सेन्टर फॉर इंग्लिश स्टडीज,
स्कूल ऑफ लैंग्वेज्जिस, लिटरेचर एण्ड कल्चर स्टडीज,
जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
[पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(ज) के अधीन] | —सदस्य | 1. Hon'ble Minister, Social Welfare,
Govt. of NCT of Delhi | —Chairperson,
ex-officio |
| 21. अध्यक्ष,
दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड,
9, इंस्टीट्यूशनल एरिया, पंखा रोड,
जनकपुरी, नई दिल्ली-58 | —सदस्य | 2. Sh. Mala Ram Gangwal, M.L.A.,
A-1B/24-C, LIG Flats,
Paschim Vihar, New Delhi
(U/s. 13(2)(g) of PWD Act) | —Member |
| | | 3. Sh Kulwant Rana, M.L.A.
H. No. 7, Main Bawana Road (Opp.
Delhi Engineering College) Village &
PO. Shahabad Daulatpur, Delhi
(U/s. 13(2)(g) of PWD Act) | —Member |
| | | 4. Sh. Nand Kishore, M.L.A.,
H. No. 213, Village Baprola,
PO. Najafgarh, Delhi-43
(U/s. 13(2)(g) of PWD Act) | —Member |
| | | 5. Pr. Secretary, Deptt. of Education,
Govt. of NCT of Delhi | —Member |
| | | 6. Pr. Secretary, Deptt. of Finance
Govt. of NCT of Delhi | —Member |

- | | | | |
|---|---------|---|-----------------------|
| 7. Pr. Secretary, Deptt of Health,
Govt. of NCT of Delhi | —Member | 22. Pr. Secretary, Public Works
Department, Govt of NCT of Delhi
(U/s 13(2)(d) of PWD Act) | —Member |
| 8. Development Commissioner,
Govt. of NCT of Delhi | —Member | 23. Commissioner (Disability),
For Persons with Disabilities,
Govt. of NCT of Delhi | —Member |
| 9. Secretary, Deptt of Industries,
Govt of NCT of Delhi | —Member | 24. Pr. Secretary,
Social Welfare/WCD,
Govt. of NCT of Delhi | —Member
—Secretary |
| 10. Secretary (Training-UTCS),
Govt. of NCT of Delhi | —Member | By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
B. V. SELVARAJ, Pri. Secy. | |
| 11. Secretary, Deptt of Urban Development,
Govt. of NCT of Delhi | —Member | राजस्व विभाग | |
| 12. Secretary (Employment),
Govt. of NCT of Delhi | —Member | अधिसूचना | |
| 13. Managing Director, Delhi State Industrial
Development Corporation Ltd., N-Block,
Bombay Life Building, Con Circus, New Delhi | —Member | दिल्ली, 17 जून, 2011 | |
| 14. Ms. Seema Tuli, Principal,
Amar Jyoti School, Karkardooma, Delhi
(U/s 13(2)(f) of PWD Act) | —Member | सं. फा. 7/13/रा.स्था./स.र./जी.ए./97/पाठे फाईल/
801.—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 106 दिनांक
29-3-2011 के सन्दर्भ में श्री रघुविन्द्र सिंह रहिल, ग्रेड-1 (दास) ने
दिनांक 7-4-2011 (पूर्वाह्न) को तहसीलदार (नजफगढ़), जिला
दक्षिण-पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है। अतः :- | |
| 15. Dr. Omkar Sharma, Gen. Secretary,
All India Federation of the Deaf,
18-Northend Complex, RKPuram,
Marg, New Delhi
(U/s 13(2)(f) of PWD Act) | —Member | सं. 7/13/रा.स्था./स.र./97(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की
उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं. 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
श्री रघुविन्द्र सिंह रहिल, ग्रेड-1 (दास) को जब तक वह राजस्व
विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों
तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी
की शक्तियां प्रदान करते हैं। | |
| 16. Ms. Niharika Nigam, Director,
Delhi Society for the Welfare
Mentally Retarded Children, Okhla Centre,
Okhla Marg, New Delhi
(U/s 13(2)(f) of PWD Act) | —Member | सं. 7/13/रा.स्था./स.र./97(ii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की
धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री रघुविन्द्र सिंह रहिल,
ग्रेड-1 (दास) को जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद
पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित
क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं। | |
| 17. Mr. Dilip Kumar, Project Director,
Mother Home, Khasra no.-22, G. T.
K. Road, Libaspur, Delhi-42
(U/s 13(2)(f) of PWD Act) | —Member | सं. 7/13/रा.स्था./स.र./97(iii).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डिंग अधिनियम, 1948 (1948
की अधिनियम सं. 50) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल, श्री रघुविन्द्र सिंह रहिल, ग्रेड-1 (दास) को जब तक
वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम
आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व
अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं। | |
| 18. General Secretary,
National Association of Blind,
RKPuram, Sec.-5, New Delhi
(U/s 13(2)(f) of PWD Act) | —Member | सं. 7/13/रा.स्था./स.र./97(iv).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954
की अधिनियम सं. 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग | |
| 19. Representative,
Confederation of Indian Industry, Delhi
CII, Delhi State Office, Plot No. 249 f,
Sec-18 Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon
(U/s 13(2)(h) of PWD Act) | —Member | | |
| 20. Ms. Navneet Sethi, Associate Professor,
Centre for English Studies, School of
Languages, Literature and Culture Studies,
Jawaharlal Nehru University, New Delhi
(U/s 13(2)(h) of PWD Act) | —Member | | |
| 21. Chairman,
Delhi Agricultural Marketing Board,
9, Instt. Area, Pankha Road, Janakpuri,
New Delhi-58 | —Member | | |

करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री रघुविन्द्र सिंह रुहिल, ग्रेड-I (दास) को जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हों, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
कुलदीप सिंह गंगार, अतिरिक्त सचिव

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th June, 2011

F. No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./GA/97/P.File/801.—In pursuance of Services Department's order No. 106 dated 29-3-2011, Sh. Raghuvinder Singh Ruhil, Grade-I (DASS) has joined as Tehsildar (Najafgarh), District South-West on 7-4-2011 (F/N). Now, therefore,

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(i).—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Sh. Raghuvinder Singh Ruhil, Tehsildar, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory, so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(ii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in

the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Raghuvinder Singh Ruhil, Tehsildar, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(iii).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Raghuvinder Singh Ruhil, Tehsildar as Consolidation Officer in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, till such time as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(iv).—In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Raghuvinder Singh Ruhil, Tehsildar, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.